मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-17

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 10 मार्च, 2005 (फाल्गुन 19, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये तथा द्वितीय चक्र में 2 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 115 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 90 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नोत्तर सूची में से सदस्यों के नाम पुकारे जाने के बाद भी प्रश्नोत्तर के लिए नियत समय समाप्त नहीं हुआ फलतः कार्यसूची के अनुसार अगला विषय लिया गया।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य ने होशंगाबाद नगर का सबसे पुराना मेन बोर्ड प्राथमिक शाला भवन का अधूरा निर्माण पूरा करने,

(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने म.प्र. के सिवनी जिले में स्थित उर्दू स्कूल कन्या शाला का अवैधानिक रूप से कब्जा करने,

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सदस्य ने ग्वालियर स्थित डी.ए.बी. उ.मा.वि. में अनेक अनियमितताएं होने,

(4) श्री धूल सिंह चौधरी, सदस्य ने रतलाम जिले के ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत राहतगढ़ में नहरों का निर्माण न कराये जाने, तथा

(5) श्री दरबूसिंह उइके, सदस्य ने सतना जिले के मैहर तहसील के ग्राम करिया में विकलांग पेंशन अकारण बंद करने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. ध्यानाकर्षण

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्रीमती संध्या सुमन राय, सदस्य ने प्रदेश में छात्रों की परीक्षावधि के दौरान बिजली कटौती होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री ऊर्जा ने इस पर वक्तव्य दिया।

(डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण "रीवा जिले में मिट्‌टी के तेल की कालाबाजारी होने" संबंधी उनकी ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नहीं हो सकी)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त सदस्यगण तथा डॉ. सुनीलम् एवं श्री रामलखन शर्मा, सदस्य प्रदेश में बिजली कटौती के विरोध में गर्भगृह में आए तथा नारेबाजी करते रहे तथा कुछ समय पश्चात् वापस अपने अपने आसन पर चले गये)

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्रीमती रेखा रत्नाकर, सदस्य की शाजापुर जिले के -

(क) आगर नगर स्थित बालक माध्यमिक विद्यालय के भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(ख) बड़ोद नगर के हाटपुरा बाजार एवं कायस्थ मोहल्ला स्थित कन्या माध्यमिक विद्यालय के भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(ग) आगर नगर स्थित पुलिस थाना के भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(घ) आगर नगर स्थित कन्या अनुसूचित जाति छात्रावास के भवन एवं बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत कराये जाने,

(ङ) आगर नगर के छावनी स्थित बालक माध्यमिक विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(च) ग्राम कुण्डला से सेमरी जोड़ तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(छ) ग्राम बड़ोद में क्रेशर मशीन के पास विद्युत हेतु डी.पी. लगाये जाने,

(ज) ग्राम जयसिंहपुरा से बीजा नगरी तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(झ)ग्राम जयसिंहपुरा से चौकी तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ञ) ग्राम कड़वाला में विद्युत हेतु डी.पी. लगाये जाने,

(ट) ग्राम बरगड़ी में विद्युत हेतु खंभे एवं डी.पी. लगाये जाने,

(ठ) ग्राम खेड़ानरेला में विद्युत हेतु डी.पी. लगाये जाने,

(ड) ग्राम बड़ोद में देवरूण्डी के पास विद्युत हेतु डी.पी. लगाये जाने,

(ढ) ग्राम बेहका में विद्युत हेतु खंभे एवं डी.पी. लगाये जाने, तथा

(ण) ग्राम खजुरी चौहान में विद्युत हेतु खंभे एवं डी.पी. लगाये जाने,

(2) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य की होशंगाबाद जिले के -

(क) ग्राम आरी स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम बीकोर एवं नसीराबाद में पशु औषधालय खोले जाने, तथा

(ग) ग्राम ताल केसली स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(3) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम चांद से छिन्दवाड़ा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) ग्राम चांद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनाये जाने, तथा

(ग) चौरई नगर में पशु औषधालय भवन एवं कर्मचारी आवास गृह बनाये जाने,

(4) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम नांदनेर के पास ऊमर नदी पर स्टापडेम-कम-काजवे बनाये जाने, तथा

(ख) ग्राम गोटीटोरिया से चावल पानी (छिन्दवाड़ा जिला) तक डामरीकृत सड़क बनाये जाने,

(5) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के -

(क) ग्राम नहरावली व सिहोरी घाट पर रपटा बनाये जाने,

(ख) ग्राम नदि गागोली को सड़क मार्ग से जोड़े जाने,

(ग) ग्राम अरहेला की नल जल योजना का ट्रान्सफार्मर बदले जाने

(घ) ग्राम कुम्हेरी से अरहेला-हार गागोली तक डामरीकृत मार्ग बनाये जाने,

(ङ) ग्राम छैरा में खेल परिसर बनाये जाने,

(च) ग्राम जाफराबाद से कुशवाहपुरा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(छ) ग्राम इमलिया में मनोरंजन भवन बनाये जाने, तथा

(ज) ग्राम ककरधा में उर्दू प्राथमिक शाला खोले जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 1 सन् 2005) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(श्रीमती जमुनादेवी के नेतृत्व में सम्पूर्ण कांग्रेस पार्टी, समाजवादी एवं भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के सदस्यों द्वारा परीक्षा अवधि के दौरान प्रदेश में हो रही विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति और उस पर सदन में चर्चा नही कराने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

6. वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग की मांगों पर चर्चा प्रारम्भ हुई।

श्री अनूप मिश्रा जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री ओमप्रकाश धुर्वे, खेल एवं युवक कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 43	खेल और युवक कल्याण के लिए आठ करोड़, अठानवे लाख, ग्यारह हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 77	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत विशेष समस्या-खेल एवं युवक कल्याण के लिए एक हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 43	3,6,7
मांग संख्या - 77	3,4

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

(2) श्री नरेश दिवाकर

7. सूचना

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि गुरुवार, दिनांक 10 मार्च, 2005 को रात्रि 8.30 बजे से विधान सभा परिसर स्थित आडिटोरियम में माननीय सदस्यों के लिए गीत, गजल एवं सुगम संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें प्रसिद्ध गजल एवं भजन गायक श्री मदन चौहान और सुप्रसिद्ध सुगम संगीत गायिका सुश्री श्रद्धा टांक की प्रस्तुति होगी।

कार्यक्रम से पूर्व श्री कैलाश विजयवर्गीय, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य की ओर से रात्रि भोज भी रखा गया है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम एवं भोज में उपस्थित होने का कष्ट करें।

8. वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः) (पूर्वानुबद्ध)

(3) श्री रामदास उईके

(4) श्री नारायण त्रिपाठी

(5) श्री आरिफ अकील

(6) श्री पारस जैन

श्री ओमप्रकाश धुर्वे, खेल एवं युवक कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री दिलीप भटेरे, राजस्व मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए तीन सौ तैतीस करोड़, इकहत्तर लाख, चवालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए तेईस करोड़, अड़तीस लाख, इक्कीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए दो सौ बयालीस करोड़, छत्तीस लाख, पचास हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 84	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-राजस्व के लिए तीन हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 63	अल्प संख्यक कल्याण के लिए दो करोड़, चवालीस लाख, छियासठ हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 66	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए अठासी करोड़, इकहत्तर लाख, सतासी हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 8	3,7
मांग संख्या - 9	4
मांग संख्या - 63	3
मांग संख्या - 66	4

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री दुर्गालाल विजय

(3) श्री आरिफ अकील

सभापति महोदया (श्रीमती सुधा जैन) पीठासीन हुई.

(4) डॉ. सुनीलम्

(5) श्री गिरिजा शंकर शर्मा

(चर्चा अपूर्ण)

9. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री अमर सिंह कोठार, सभापति ने प्रस्ताव किया कि समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक ११ एवं १८ मार्च, २००५ को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

		अशासकीय संकल्प	निर्धारित समय
		शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2005	
1.	(क्रमांक-9)	श्री रामनिवास रावत	1 घण्टा
2.	(क्रमांक-14)	श्री पं. रमेश दुबे	45 मिनट
3.	(क्रमांक-22)	श्री अजय विश्नोई	45 मिनट
		शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2005	
1.	(क्रमांक-28)	श्री दुर्गालाल विजय	45 मिनट
2.	(क्रमांक-29)	श्री निशिथ पटेल	45 मिनट
3.	(क्रमांक-31)	डॉ. गोविन्द सिंह	1 घन्टा

श्री अमर सिंह कोठार, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः) (पूर्वानुबद्ध)

(6) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा
(7) श्री शंकर लाल तिवारी
(8) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(9) श्री ज्ञान सिंह
(10) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल
(11) श्री शिवप्रसाद राठौर
(12) श्री बृजमोहन धूत
(13) श्री पारस जैन
(14) श्री नानालाल पाटीदार

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री दिलीप भटेरे, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय के लिए तैतालीस करोड़, छः लाख, अड़तालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 37	पर्यटन के लिए छब्बीस करोड़, पचहत्तर लाख, बानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 53	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए बीस करोड़, बावन लाख, सतासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 70	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत विशेष समस्या-पर्यटन के लिए एक हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए दस सौ दस करोड़, पचासी लाख, पच्चीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 83	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए तेरह करोड़, बत्तीस लाख, नौ हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 94	सिंहस्थ मेला 2004 से संबंधित व्यय के लिए नौ करोड़ रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 22	2,3
मांग संख्या - 37	1,4
मांग संख्या - 53	3

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(2) श्री शंकर लाल तिवारी

(3) श्री नारायण त्रिपाठी

(4) डॉ. गोविन्द सिंह

(5) श्री ओम प्रकाश पुरोहित

श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 33	आदिम जाति कल्याण के लिए चार सौ इकतीस करोड़, चौतीस लाख, उनचास हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए बारह सौ तैतालीस करोड़, तिरसठ लाख, साठ हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 33	3,9

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(1) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री भगत सिंह नेताम

(3) श्री दीवान सिंह पटेल

(4) सुश्री निर्मला भूरिया

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(5) श्री रूस्तम सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के लिए नब्बे करोड़, पचासी लाख, तेरह हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांग पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 39	7

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

(2) श्री शंकर लाल तिवारी

(3) सुश्री उषा ठाकुर

श्री रूस्तम सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7.50 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2005 (फाल्गुन 20, 1926) के पूर्वान्ह 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.